राजस्थान मॉडल

यह बात एकदम स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान नीतिगत सुधारों के मोर्चे पर देश का नेतृत्व करेगा। राजे को गत वर्ष राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल हुई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन और बेहतर हुआ जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कम से कम अब तक राजस्थान की राजनीति में उनके समक्ष कोई चुनौती नहीं है। यह छह साल पहले के उनके पिछले कार्यकाल से एकदम उलट है जब वह आंतरिक संघर्ष और भितरघात से दो-चार होती रही थीं। लेकिन राजे ने बहुमत हासिल करने के बाद जो कार्यप्रणाली अपनाई है, वह प्रभावित करने वाली है। वास्तव में वह अकेले दम पर विकास का 'राजस्थान मॉडल तैयार कर रही हैं। जहां 'बिहार मॉडल' में विकास के लिए सड़क निर्माण और कानून और व्यवस्था पर ध्यान दिया गया तथा 'गुजरात मॉडल' में बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च तथा निजी क्षेत्र की राज्य समर्थित औद्योगिक परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया वहीं राजस्थान मॉडल की विकास नीति में उदार आर्थिक सुधारों को केंद्र में रखा गया है।

राजे के पास अवसर है कि ऐसा कर सकें। एक तो उनको विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई वहीं दूसरी ओर वह जिस सरकार की जगह सत्ता में आई हैं उसने भी उनकी मदद की है। कुछ ही लोग इस दावे से इनकार करेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार कल्याण योजनाएं तैयार करने में अव्वल थी। ऐसे में राजे यह दावा कर सकती हैं कि उनको विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्ता सौंपी गई है। हाल के वर्षों में विकास के मोर्चे पर राजस्थान का प्रदर्शन भी उनके इस दावे की पुष्टि करेगा। उन्होंने श्रम और भूमि सुधार समेत जिन तमाम सुधारों का प्रस्ताव रखा है वे कई मामलों में पहले से लंबित थे। दुर्भाग्यवश जिन ज्यादातर कानूनों पर सवाल थे, वे केंद्र सरकार के दायरे से ताल्लुक रखते हैं हालांकि वे उन मामलों से निपटने के लिए बने थे जो संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा थे जो केंद्र और राज्यों के बीच का साझा मसला है। दलील दी गई है कि केंद्रीय कानूनों में राज्य स्तर पर किये गए ये बदलाव तभी प्रभावी होंगे जब राष्ट्रपति

इनको अपनी मंजूरी देंगे। इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। होगा क्या यह भविष्य ही बताएगा।

बहरहाल, चूंकि केंद्र सरकार को भी भारी बहुमत हासिल है लेकिन वह अब तक बड़े सुधारों को अंजाम देने की इच्छुक नहीं नजर आई है हालांकि अगर वह इनको अंजाम देगी तो यह राजे के लिए भी प्रसन्नता का विषय होगा। राजस्थान विधानसभा पहले ही कई श्रम कानूनों में राज्यस्तर पर संशोधन पारित कर चुकी है। इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, अनुबंधित श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम तथा प्रशिक्षु अधिनियम शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में भी बदलाव की तैयारी है। इसके जरिये उन भूस्वामियों की संख्या कम हो जाएगी जिनकी अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा अधिग्रहण पर आपत्ति को अपराध बनाने की व्यवस्था भी की गई है जो दिक्कतदेह हो सकती है। निश्चित रूप से भूमि का मसला राज्य से संबंधित है। ऐसे में राजस्थान बिना किसी दिक्कत के उनमें बदलाव ला सकता है। इस समाचार पत्र के मुताबिक राजे आधार कार्ड का अपना विकल्प लाने की योजना भी बना रही हैं। इसके तहत घरों की महिला मुखिया की पहचान कर लाभ का अंतरण उन्हें किया जाएगा। आधार योजना से दूरी बनाकर अपनी योजना चलाना बेहतर विचार है या नहीं, इस पर सवाल तो उठेंगे लेकिन राजे की लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की योजना की जरूर सराहना की जानी चाहिए। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।